न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी श्रीमति निशा सहारण
राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 55/2022

1. बंशीलाल रेगर पुत्र श्री गिरधारी जाति रेगर निवासी मुण्डोती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

2. काना पुत्र पुत्र श्री गिरधारी जाति रेगर निवासी मुण्डोती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

3. बिदाम पुत्री पुत्र श्री गिरधारी जाति रेगर निवासी मुण्डोती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

प्रार्थीगण

बनाम

1. उगमाराम पुत्र रूपनाथ जाति जाट निवासी मुण्डोती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
2. छोटी पुत्री गोगा जाति जाट निवासी मुण्डोती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
3. जतनी पुत्री रामधन जाति जाट निवासी मुण्डोती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
4. रामजीवण पुत्र गोगा जाति जाट निवासी मुण्डोती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
5. रामरतन पुत्र मोठिया जाति जाट निवासी मुण्डोती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
6. रामलाल पुत्र रूघनाव जाति जाट निवासी मुण्डोती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
7. रामेश्वर पुत्र गोगा जाति जाट निवासी मुण्डोती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
8. रामेश्वरी पुत्री रामधन जाति जाट निवासी मुण्डोती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
9. रामस्वरूप पुत्र काना जाति जाट निवासी मुण्डोती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
10. लक्ष्मण पुत्र रूघनाथ जाति जाट निवासी मुण्डोती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
11. सुप्यार पत्नी रामंधन जाति जाट निवासी मुण्डोती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
12. सुमित्रा पत्नी काना जाति जाट निवासी मुण्डोती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
13. सुरेश पुत्र काना जाति जाट निवासी मुण्डोती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
14. सीता पुत्री रामधन जाति जाट निवासी मुण्डोती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
15. हनुमान दत्तक पुत्र रामधन जाति जाट निवासी मुण्डोती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
16. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़

उपखण्ड अधिकारी (seal)

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक ....

वकील प्रार्थी श्री महावीर मालाकार

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् पेश कर कथन किया प्रार्थीगण के स्वामित्व, आधिपत्य कब्जे काश्त एवं एकल खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम मुण्डोती तहसील किशनगढ जिला अजमेर में स्थित खसरा संख्या 566 रकबा 1.2378 हैक्टैयर है उक्त कृषि भूमि सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है एवं प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित खातेदारी की कृषि भूमि के खसरा नम्बर 432 आम रास्ता, 423 नाडा एवं 567 पाल है तथा खसरा संख्या 566 एवं 557 की सींव एक ही है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 01 मे वर्णित अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिए प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार साहब किशनगढ को दिया गया था जिस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का सीमाज्ञान करने के आदेश हल्का पटवारी व गिरदावर के नाम जारी किया गया तत्पश्चात सीमाज्ञान किया गया एवं पटवार हल्का पटवारी व गिरदावर के द्वारा मौका पर्चा दिनांक 07.06.2021 को तैयार किया गया था। मौके पर पडौसी खातेदार असंतुष्ट हुए प्रार्थीगण व पडौसी खातेदारान अप्रार्थीगण के मध्य आये दिन सींव मेड(सीमा) को लेकर विवाद होता रहता है जिससे प्रार्थीगण काफी परेशान है इस कारण प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 566 रकबा 1.2378 हैक्टैयर की कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना अति आवश्यक है अन्यथा प्रार्थीगण एवं अडौस पडौस के खातेदारो अप्रार्थीगण में विवाद बढ सकता है वाद बाहुल्यता को बढावा मिल सकता है तथा बिना वजह विवाद उत्पन्न होगें इस सभी परेशाानियों से बचने के लिए तथा पडौसी खातेदारो से विवाद नही हो इसलिए प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 01 में वर्णित प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि पर पत्थर गढी किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है इसलिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि पर प्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं तथा उक्त खसरा नम्बरान की भूमि का राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में तरमीम होने के बावजूद अप्रार्थीगण पडौसी खातेदारान के मध्य नींव सींव को लेकर आये दिन विवाद उत्पन्न होते रहते है इसलिए प्रार्थीगण की उक्त खसरा नम्बरान की भूमि की पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 01 मे वर्णित प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम मुण्डोती तहसील किशनगढ जिला अजमेर में स्थित खसरा संख्या 566 रकबा 1.2378 हैक्टैयर तथा खसरा संख्या 557 भूमि के चारो तरफ मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस, मौके पर काबिज काश्त के अनुसार नाप जोख करवा कर सीमाज्ञान करवा कर पत्थरगढी करवाये जाने हेतु आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 08.04.2022 को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 15.11.2022 को अप्रार्थी सं0 01 से 15 को नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई, अप्रार्थी संख्या 16 को जवाब हेतु तहरीर लिखी गई जिसपर पैरोकार सरकार ने आदेशिका पर अंकन किया कि यदि वादअधीन भूमि का राजस्व नक्शा के अनुसार पत्थरगढी की जावे तो अप्रार्थी संख्या 16 को कोई आपत्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

दिनांक 10.12.2024 को हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी ग्राम मुण्डोती 566 रकबा 1.2378 हैक्टेयर प्रार्थीगणों की संयुक्त खातेदारी की आराजी है तथा तहसीलदार किशनगढ के द्वारा दिनांक 15.06.2021 वादअधीन भूमि का सीमाझान किया गया है। प्रार्थीगण उक्त आराजी खसरा संख्या 566 रकबा 1.2378 हैक्टेयर के रिर्काडेड खातेदार काश्तकार होने से प्रार्थीगण को भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी हैं, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू.राज. अधि. को आंशिक स्वीकार किया जाता है

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू.राज. अधि. को आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मुण्डोती तहसील किशनगढ जिला अजमेर में स्थित खसरा संख्या 566 रकबा 1.2378 हैक्टैयर भूमि का मौके पर नाप चौप कर पत्थरगढ़ी करने हेतु तहसीलदार किशनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि वे मौके पर दोनो पक्षों की उपस्थिति में नाप चौप कर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करे। कमिश्नर फीस रूपये 1,000/– रू0 तय किये जाते है। तहसीलदार किशनगढ को कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जातें है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा करवाने के उपरान्त समस्त पडोसी खातेदारान को सूचना पत्र जारी करने के उपरान्त मौके पर पत्थरगढी की कार्यवाही करें । पत्थरगढी की कार्यवाही में किसी भी प्रकार की बेदखली अथवा कब्जे छुडवाने से संबंधित कार्यवाही नहीं करें, कब्जे की वर्तमान स्थिती में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करें। यदि मौके पर प्रार्थी की भूमि अथवा निकटवर्ती राजकीय भूमि पर आंशिक या पूर्ण भाग पर किसी अन्य का कब्जा हो तो मौका पर्चा में इसका उल्लेख करते हुये प्रार्थी को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सूचित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 10.12.24 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)